हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली दिनांक:- 25-10-2024

- **थाना सिम्भावली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रांतर्गत हुई महिला की हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी को अल्प समय में किया गिरफ्तार।**
- **जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दरांती व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून के छीटें लगे कपड़े बरामद।**
- **अभियुक्त सोनू उर्फ न्यादर द्वारा मृतका के साथ गलत काम करने का विरोध करने पर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24-10-2024 को थाना सिम्भावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दरियापुर के जंगल में महिला का शव मिला था, जिसके सम्बन्ध में मृतका के देवर जसवीर द्वारा थाना सिम्भावली पर तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 298/2024 धारा 64, 103, 238 बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी को खुडलिया अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दरांती व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून के छीटें लगे कपड़े बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सोनू उर्फ न्यादर पुत्र विजय पाल उर्फ विज्जे निवासी ग्राम दरियापुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त लोहे की दरांती व घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए खून के छीटें लगे कपड़े।

हत्या का कारणः- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मृतका मेरे ही मौहल्ले की रहने वाली विधवा महिला थी। वह दूसरे लोगो के खेतों से घास काटकर लाती थी और अपने पशुओ का पालन करती थी, मेरे मन में उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध इच्छा होती थी, मै हर कीमत पर उसके साथ शारारिक सम्बन्ध बनाना चाहता था और मै सही मौके की तलाश मे था। दिनांक 23.10.2024 को समय करीब 12.00 बजें मै अपने खेतो के पास था कि मुझे वह आती हुई नजर आयी और वह घास काटने के लिये आ रही थी। मैने उसको बहाने बनाकर पास में ही अपने ही गांव के हरवीर के खेत मे ले गया, मैंने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये कहा तो उसने विरोध किया इसी बीच मैंने उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसने मेरा हाथ काट लिया तथा मेरे सिर पर दरांती मारकर घायल कर दिया और मुझे जेल में भिजवाने की धमकी देने लगी। जेल जाने के डर से मैंने दरांती उसके पेट पर मारकर घायल किया एवं फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री मुनेन्द्र कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
3. उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
4. कां0 579 सुनील देव थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
5. कां0 273 प्रवीण कुमार थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।